2015/00056

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 27/2015

अपीलांट
दाना पुत्र सालार जाति
मुसलमान निवासी सुन्दर
नगर कोनरा तहसील चौहटन

बनाम्

रेस्पोडेंट्स
1.पारसमल पुत्र रिखबदास
जाति ओसवाल निवासी
चौहटन तहसील चौहटन
2.राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार,चौहटन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 07.07.1992 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा ग्राम कोनरा के नामान्तरकरण संख्य 822 पर पारित किया गया।

उपस्थितः–1.श्री बलवन्तसिंह चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2..श्री पवन सिंहल अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
की ओर से।
3.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय दिनांक 13.06.2018

1. अपीलांट ने यह अपील कोनरा के नामान्तरकरण संख्या 822 पर तहसीलदार,चौहटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.1992 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 643 रकबा 60–04 बीघा मौजा सुन्दर नगर पटवार क्षेत्र कोनरा में आयी हुई थी। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। बंटवाड़ा आदेश दिनांक 16.06.1992 की पालना में पटवारी हल्का कोनरा ने नामान्तरकरण संख्या 822 भरकर तहसीलदार,चौहटन के समक्ष पेश किया। जिस पर तहसीलदार,चौहटन ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.1992 द्वारा स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने इस विभाजन आदेश को बिना विधिवत बंटवाडा करवाये गलत बताते हुए इस आधार पर पारित नामान्तरकरण संख्या 822 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर सुमार करने का निवेदन कियां। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने अपील, अपीलांट मियाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

4. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीनलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 643 रकबा 60–04 बीघा मौजा सुन्दर नगर पटवार क्षेत्र कोनरा में स्थित है जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त हिस्से की भूमि पर अपीलांट की ढाणी,टांके,चारवाड़े व कुआ भी बने हुए है एंव अपीलांट व रेस्पोडेंट का अलग अलग कब्जा काश्त है तथा अपने हिस्से अनुसार बाहमी तोर पर बंटवाड़ा भी कर रखा है। वादगस्त भूमि के कब्जा काश्त व गुणवता व सारभूत तथ्यो की अवहेलना एंव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 के अन्तर्गत बंटवाड़ा नहीं हुआ। उन्होने तर्क दिया कि बंटवाड़ा आदेश से सम्बन्धित तहसील कार्यालय चौहटन में कोई रिकॉर्ड नहीं है। रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पैशिदा तौर से जमीन की गुणवता का धोरे व समतल भूमि को ध्यान में नहीं रखते हुए बंटवाड़ा कर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 822 दिनांक 07.07.1992 गलत पारित किया है, जो गलत एंव विधि विरूद्ध है। मियाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि अपीलांट को पूर्व में रेस्पोडेंट द्वारा वादगस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा करवाकर आलोच्य नामान्तरकरण पारित करने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी परन्तु 10 दिन पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 01 अपने साथ अजनबी व्यक्तियो को लेकर मौके पर आया तथा वादग्रस्त भूमि का बेचान हेतु भूमि दिखाने लगा, तब अपीलांट ने भूमि का बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये बेचान नहीं करने की हिदायत देने पर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने पूर्व में बंटवाड़ा होने एंव नामान्तरकरण पारित करने का कहा, तब नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मियाद पेश की है। अधिवक्ता अपीलांट ने आरआरटी 2018(1) पेज 186, आरआरटी 2017(2) पेज 1412, आरआरटी2013(2)878,आरआरडी 1998 पेज 319,आरआरडी 1989 पेज 45 एंव डीएनजे 2015 (sc)584 के कानूनी दृष्टांट पेश कर अवैध नामान्तरकरण में विलम्ब घातक नहीं होने,सहमति का प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने एंव अनाधिकृत एंव शून्य आदेश को कभी भी चुनौती देने के तर्क प्रस्तुत करते हुए अपील अंदर मियाद सुमार कर नामान्तरकरण संख्या 822 दिनांक 07.07.1992 निरस्त करने का निवेदन किया।

5. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया है, जिसके फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 822 दिनांक 07.07.1992 पारित किया गया है। इसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है। हस्तगत अपील में तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विभाजन आदेश के अनुसरण में पारित नामान्तरकरण को चुनौती दी है। इस नामान्तरकरण अपील में विभाजन आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसी दिशा में यह अपील चलने योग्य नही है। उन्होने तर्क दिया कि अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कलक्टर न्यायालय चौहटन में पेश किया,जो विचाराधीन है,जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। इन तथ्यों को अपीलांट ने अपील में उल्लेख नहीं कर छिपाया गया है। अपीलांट स्वच्छ हाथों को रखे हुए नहीं आया है और मिथ्या कथन किये है। इसलिये भी अपील चलने योग्य नहीं है। मियाद के सम्बन्ध में उनका तर्क है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान था अपीलांट ने अपील 23 वर्ष बाद पेश की है,जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। इसलिये अपीलांट् की अपील मियाद बाहर होने एंव गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन कियां। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 822 एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम कोनरा के खेत खसरा नम्बर 643 रकबा 60–04 बीघा भूमि अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 02 का 1/2 हिस्सा है। अपीलांट का यह कथन है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 की भूमि का विधिक न्यायिक प्रकिया से राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 के अन्तर्गत बंटवाड़ा नहीं हुआ है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन ने अपीलांट को बिना सुनायी का अवसर दिये पैशिदा तौर से जमीन की गुणवता का धोरे व समतल भूमि का ध्यान नहीं रखते हुए भूमि का विभाजन बताते हुए बंटवाड़ा का नामान्तरकरण संख्या 822 गलत एंव विधि विरूद्ध पारित किया है। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया है, जिसके फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 822 दिनांक 07.07.1992 पारित किया गया है। इसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है और वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट ने सहायक कलक्टर चौहटन के न्यायालय में दावा विचाराधीन होना बताया है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार चौहटन से विभाजन आदेश की मूल पत्रावली तलब करने पर तहसीलदार चौहटन ने अपने पत्रांक राजस्व 2018/586 दिनांक 27.04.2018 द्वारा मौजा कोनरा के खसरा नम्बर 643 रकबा 60'04 बीघा भूमि के विभाजन आदेश दिनांक 16.06.1992 की पत्रावली रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त पक्षकारान के अधिवक्ता ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दोनो पक्षों के बीच सहायक कलक्टर चौहटन के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि का दावा विचाराधीन बताया है और इसी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पारित नामान्तरकरण संख्या 822 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 07.07.1992 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलांट ने अपील पेश कर अनुतोष चाहा है, ऐसी स्थिति में मामले के हालात को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जब तक सहायक कलक्टर,चौहटन के न्यायालय में विचाराधीन दावा का निर्णय नहीं हो जाता,तब तक दोनो पक्ष आराजी खसरे की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें और विचाराधीन दावे के निर्णयोपरान्त विधिवत कार्यवाही करें। इसी अनुसार पत्रावली का निस्तारण किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर